न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 46/2024 दर्ज तिथिः– 05.04.2024

खेलोबाई पत्नि हरकेश जाति मीना निवासी गगवाना तहसील महवा जिला दौसा

.....वादीया

बनाम

1. ग्यारस्या पुत्र रामकुंवार
2. कृपालसिंह पुत्र मुरली
3. चौथी पुत्र रामकुंवार
4. मांगीलाल पुत्र रामकुंवार
5. लोहडया पुत्र रामकुंवार

समस्त जातियान मीना निवासी गगवाना (मिर्जापुर) तहसील महवा जिला दौसा

6. राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी अधिवक्ताः– श्री धर्मसिंह राजपूत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

सत्यमेव जयते

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 05.03.2025

आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते अंतिम रूप से डिक्री किये जाने हेतु पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात ख.नं. 1655 रकबा 1.33 हैक्टे0 वाके ग्राम गगवाना तहसील महवा जिला दौसा में प्रतिवादी सं. 2 कृपालसिंह पुत्र मुरली का हिस्सा 1/5 था जिसमें से एक बार वादिया ने दिनांक 28.02.2024 को 41/1330 भाग अर्थात सम्पूर्ण रकबा का 41/6650 भाग का बयनामा उपपंजीयक बालाहेडी से वाणिज्यिक दर से तस्दीक कराया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

चूंकि उक्त भूमि का सम्पूर्ण नंबर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से बालाहेडी को जाने वाली सडक खसरा नं. 1842 पर स्थित है। जिसमें सडक के लगवा हिस्सा का बयनामा वाणिज्यिक दर से मुद्रांक शुल्क अदा कर क्रय किया तथा उसके बाद एक बयनामा दिनांक 22.03.2024 को कृपालसिंह पुत्र मुरली से ही उसके हिस्से का 1289/6650 भाग का 2/5 भाग अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 2578/33250 भाग पूर्ण प्रतिफल देकर पूर्व खरीदे गये हिस्से का पीछे का भाग कृषि की दर से खरीद किया लेकिन उसमें भी मुद्रांक सडक के पास की भूमि की ही अदा की तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 कृपालसिंह का 3867/33250 हिस्सा शेष है तथा उसका भी उसी हिस्सा के अनुसार मौके पर कब्जा है। उक्त आराजी नेशनल हाईवे जयपुर आगरा रोड से बालाहेडी को जाने वाली सडक ख.नं. 1842 पर स्थित है जिसका सभी सहखातेदारो ने बालाहेडी सडक से तरफ खसरा नं. 1656 व 1658 की ओर से समान भाग का विभाजन किया हुआ है तथा उसी अनुसार ही कृपालसिंह को जहां कब्जा था उस कब्जे में से बालाहेडी सडक से खसरा नं. 1656 व 1658 की ओर ही वादिया को उक्त भूमि का विक्रय किया है तथा कब्जा भी संभलवाया है तथा वादिया अपने खरीदे गये हिस्से पर काबिज रहकर मुफीद होती चली आ रही है।

वाकां दिनांक 02.04.2024 का है वादिया अपनी खरीदशुदा आराजी पर थी कि अचानक प्रतिवादीगण आये और कहने लगे कि तुमने इस भूमि को क्यों खदीदा, हम तो तुम्हें उक्त भूमि पर सडक के पास वाली पर कब्जा नही देंगे तथा सडक के पास पास तो हम कब्जा करेंगे तब वादिया ने कहा कि हमने तो उक्त भूमि को सडक के पास वाली को ही खरीदा है तथा उसी के पैसे सरकार में तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिफल के रूप में अदा किये है फिर आप इस तरह क्यों विवाद करते हो तो वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नही हुये। विनाय दावा दिनांक 02.04.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का विधिवत विभाजन कराये जाने को स्पष्ट इंकार कर दिये जाने से ग्राम गगवाना तहसील महवा में पैदा हुआ है। स्थित भूमि श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। दावा बाबत तकास्मा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जावे कि वह वादिया के हिस्से 41/6650 एवं 2578/33250 भाग जिसमें वादिया को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कब्जा दिया है, उसके उक्त कब्जा को ध्यान में रखते हुये उसका अलग खाता कम लगान कायम किया जाकर बटवारा स्कीम मय ट्रेस तीन प्रतियों में न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करें तथा अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावे तथा प्रार्थीया का अलग खाता कम लगान कायम किया जावे तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादिया के हिस्से के कब्जे काश्त में किसी

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

भी प्रकार की रूकावट मजाहमत मदाखलत बैजा पैदा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता द्वारा यू.टी. दी तत्पश्चात वकालतनामा पेश नही करने एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 06 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी ग्राम गगवाना संवत् 2074–2077, नक्शा ट्रेस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीया व असल प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी खसरा नं. 1655 रकबा 1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम गगवाना तहसील महवा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकास्मा नही हुआ है। संयुक्त आराजी पर वादीया एवं प्रतिवादीगण काबिज हैं तथा मौके पर कब्जानुसार वादीया व प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा एवं मौके के अनुसार तकास्मा किया जा सकता है एवं वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादीया के निवेदन पर वादीया का वाद दिनांक 10.01.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार महवा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार महवा से पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/458 दिनांक 19.02.2025 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव पर वकील वादीया को सुना गया। वकील वादीया द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र को अंतिम रूप से डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार महवा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। वाद अवलोकन/गौर पत्रावली एवं कुर्रेजात प्रस्ताव हम दावा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

<u>अतः आदेश है कि</u> :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा	किस्म	लगान
1	खेलोबाई पत्नि हरकेश जाति मीना सा. देह खातेदार	1655/2	0.11132	बारानी–I	1.22452

	योग	किता 01	0.11132	बारानी–I	1.22452
2	कृपालसिंह पुत्र मुरली हिस्सा 7085/60934 जाति मीना सा. देह खातेदार,	1655/1	0.27	बारानी–I	2.97
	ग्यारस्या, चौथी, मांगीलाल, लोहडया पि. रामकुंवार हि. ब. 53849/243736 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन ग्यारस्या, चौथी पि. रामकुंवार SBI शाखा महवा लोहडया पि. रामकुंवार राहिन BOB शाखा बालाहेडी	1655/3	0.94868	बारानी–I	10.43548
	योग	किता 02	1.21868	बारानी–I	13.40548

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा